कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश
नर्मदा रोड, जबलपुर

ई–मेल : dttrgjbp@gmail.com फोन नं.– 0761-2660524 फैक्स नं- 0761-2661055

क्रमांक कौविसं/मंथन–2014/2017/ 686 /जबलपुर, दिनांक :07/02/17

प्रति,

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
भोपाल

विषय – मंथन–2014 की अनुशांसाओं पर कार्यवाही।

संदर्भ – विभाग का पत्र क्र. 170/1547/2016/42–2, दिनांक 25.01.2017

———000———

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत मंथन–2014 की विभागीय अनुशांसाएँ (परिशिष्ठ–एक) एवं अन्य विभाग से संबंधित अनुशंसां बिन्दु क0– 2.10.1, 2.10.9, 2.11.1, 2.11,2, 2.11,3, 2. 11,4 5.8, 5.19, 5.27, 5.32, 5.35, 5.36, 7.1.1, 7.1.2, (परिशिष्ठ–दो) पर कियान्वयन के संबंध में विभाग से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश

O/C

मंथन 2014 की अनुशंसाओं के पालन का विवरण

स.क्रं.	विभागीय अनुशंसाएँ	पालन की स्थिति
1	निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या एवं गुणवत्ता के लिए मापदण्डों का निर्धारण कर निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या को नियंत्रित किये जाने के प्रावधान किये जायें।	प्राइवेट आईटीआई के लिए महानिदेशालय प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के तहत प्रशिक्षण के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। वर्तमान में 796 प्राइवेट आईटी आई संचालित हैं। प्राइवेट आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संचालनालय द्वारा प्रायवेट आईटीआई के निरीक्षण के लिए निर्देश जारी किये गये है। इस निरीक्षण के लिए कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में भी एक अधिकारी सम्मिलित किया गया है । इस निरीक्षण के उपरांत प्रदेश की 103 प्रायवेट आईटीआई को डी–एलिलियेट करने के लिए भारत सरकार, महानिदेशालय कौशल विकास, कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय को सूचित किया गया है।
2	प्लेसमेंट एवं मांग के आंकलन की सतत् व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा मांग आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाए।	विभाग द्वारा प्लेसमेंट पोर्टल तैयार कर लिया गया है।
3	उत्तीर्ण विद्यार्थियों का डाटा नियोजकों को एवं संभावित नियोजकों का डाटा विद्यार्थियों को संस्था में उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायें।	प्लेसमेंट पोर्टल के माध्यम से यथा कार्यवाही की जा रही है।
4	तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण समग्र पोर्टल के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जाये।	वर्तमान में आईटीआई के एससी, एसटी, ओबीसी के प्रशिक्षणार्थियों को स्कॉलरशिप पोर्टल (2.0) जो कि एनआईसी द्वारा संधारित किया जाता है के द्वारा वितरित की जा रही है। समग्र पोर्टल के माध्यम से यथा कार्यवाही प्रचलन में है।
5	पॉलीटेक्निक/आईटीआई में हिन्दी माध्यम के अध्यापन में तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी में उपयोग की जाये।	वर्तमान में यथा कार्यवाही की जाती है।
6	कौशल विकास की कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति डीएलसीवेट को सक्रिय किया जाये।	एमपीसीवेट द्वारा वांछित प्रयास किये जा रहे है।
7	आईटीआई में अप्रचलित ट्रेड्स एवं उपकरणों को हटाकर नवीन ट्रेड्स एवं उपकरण रखे जायें।	कार्यवाही निरंतर की जा रही है।
8	कौशल विकास का एक रिसोर्स सेन्टर बनाया जाये	एडीबी प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्यप्रदेश एजुकेशन एण्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हेतु 1409 करोड़ (212

स.क्रं.	विभागीय अनुशंसाएँ	पालन की स्थिति
	जिसमें राज्य स्तर पर उपयोगी ट्रेड का आंकलन /पाठ्यचर्या का निर्धारण एवं पुनरीक्षण/योजनाओं का इम्पेक्ट असेसमेंट आदि कार्य किया जाये।	मिलियन डॉलर) का ऋण लिया जा रहा है। एडीबी प्रोजेक्ट के तहत ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करने की योजना है, जिसके तहत आंत्रप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एप्रैंटिस डेवलपमेंट सेल तथा स्टेट प्लेसमेंट सेंटर होगा ।
9	स्कूल शिक्षा एवं कौशल विकास में लिंकेज स्थापित हो तथा स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण में रूचि/जागृति के लिए स्थायी व्यवस्था की जाये।	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के नोटिफिकेशन क्रमांक 268/2016 दिनांक 18.07.2016 के अनुसार यथा व्यवस्था बनाई गई है। प्रदेश स्तर पर भी स्कूल शिक्षा के समन्वय से लिंकेज स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।
10	आईटीआई प्राचार्य को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाये।	वर्तमान में आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त विकेन्द्रीकरण है।
11	वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाईडर (व्हीटीपी) की ग्रेडिग कराई जाये।	वर्तमान में मॉडयुल एम्प्लायबल स्किल के तहत संचालित प्रशिक्षण अत्यंत अल्प है। अतएव ग्रेडिंग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
12	प्रत्येक विकासखण्ड में कौशल विकास केन्द्र खोलने के स्थान पर वर्तमान आईटीआई को सृदृढ़ किया जाये।	प्रदेश में 313 विकासखंडों में से 135 विकासखंडों में कौशल विकास केन्द्र संचालित हैं। वर्तमान में 125 विकासखंडों में शासकीय आईटीआई स्थापित नहीं है। 63 विकासखंड ऐसे हैं जिनमें कोई भी प्राइवेट अथवा शासकीय आईटीआई नहीं है। 24 आदिवासी विकासखंडों में शासकीय आईटीआई नहीं है। विभाग द्वारा प्रत्येक विकासखंड में शासकीय आईटीआई के स्थापना की योजना आगामी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है। स्थापित आईटीआई को सूदृढ करने के लिए विभागीय बजट में प्रावधान किया जा रहा है। एडीबी प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्यप्रदेश एजुकेशन एण्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हेतु 1409 करोड़ (212 मिलियन डॉलर) का ऋण लिया जा रहा है, जिसके तहत 10 संभागीय स्तर की आईटीआई को सेंटर ऑफ एकसीलेंस के रूप में स्थापित करने की योजना है।

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश